

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 201

दिनांक 27/01/25

प्रार्थी:-

1. हैदर खां पुत्र अजीमखां  
जाति मुसलमान, निवासी मिठे का तला  
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. बादलदान 2. हड़वंतदान पि. लक्ष्मणदान 3. सकूदेवी पत्नी  
लक्ष्मणदान, जाति चारण, निवासी गुमाने का तला  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार धनाऊ

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 272/2024

दिनांक : 27.01.2025

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र बीजसर के मीजा रहमा अजीम की बस्ती के खेत खसरा सं. 798/318, 801/318 रकबा क्रमशः 01.8130, 04.3706 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी मक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे ।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।  
प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीथ रुपये 500/- मीके पर अदा करेंगे ।

क्रमांक/भू.अ./2025/ 202 to 205

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थी हैदर खां
3. विप्रार्थीगण बादलदान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौगीमन्ना/धनाऊ / सेडवा



उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 27/01/25

(कुसुमलक्ष्मी शान)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन